न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 02/2015
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015/00137

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
जयराम पुत्र नारणाराम जाति विश्नोई, निवासी–डडूसन, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान।	1. चुकी देवी पत्नी वरिंगा। 2. राजुराम गोद पुत्र वरिंगा जाति विश्नोई निवासी डडूसन तहसील सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान 3. तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 27.04.2015

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 से 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.01.2026

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेष किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम डडूसन पटवार हल्का बावरला उपखण्ड क्षैत्र सांचोर में खेत खसरा नंबर 61 रकबा 1.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 62 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.87 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त खेत में आने जाने के लिये रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम डडूसन पटवार हल्का बावरला के खसरा नंबर 60 रकबा 0.75 हैक्टेयर में से 0.0460 हैक्टेयर, खसरा नंबर 85 रकबा 1.87 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर भूमि पांच मीटर के चौडे रास्ते की निकटतम रूट से आवष्यकता है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पूर्व में सयुक्त खातेदार थे। तथा सामलाती कास्त करते थे। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने जब उपरोक्त खेतो का बटवाडा किया तब प्रार्थीगण के खेतो में आने–जाने हेतू उपरोक्त माफिक रास्ता मौके पर रखा गया था जो अब भी मौजुद है लेकिन भूलवशः राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं रखा इस कारण अप्रार्थीगण रास्ता बन्द कर देते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेतों में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। यही एक मात्र प्रार्थी के खेतो में आवगमन हेतु निकटत एवं सुविधाजनक रास्ता है एवं यह रास्ता प्रार्थी को दिया जाना अति आवश्यक है। अतः मुझ प्रार्थी को प्रार्थी के खेतो में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 60 में से 0.0460 हैक्टर एवं खसर नम्बर 85 में से 0.03 हैक्टर भूमि की रास्ता हेतु आवश्यकता है जैसे सलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया गया है चूकिं भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सामलाती पैतृक आई होने से

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

प्रार्थी नियमानुसार रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी होने से निवेदन कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम डडूसन में खसरा नंबर 61, 62 व 84 स्थित है। उक्त खेतों में आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 60 व 85 में से कुल 5 मीटर चौड़ा रास्ता आवश्यक है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण पूर्व में संयुक्त खातेदार थे तथा बंटवारे के समय यह रास्ता मौके पर छोड़ा गया था, जो वर्तमान में भी मौजूद है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद किया जा रहा है। उक्त रास्ते के अलावा खेतों में आवागमन का कोई अन्य मार्ग नहीं है। भूमि संयुक्त पैतृक होने से प्रार्थी रास्ता पाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाए।

4. अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान व परेषान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

5. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

6. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है किः–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवष्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

7. प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 61,62,84 में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार सांचौर से प्राप्त जांच रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार उक्त आराजी खसरा संख्या 61, 62, 84 में पहुंचने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को निकटतम व व्यावहारिक होने से रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा डडूसन, पटवार हल्का बावरला के खसरा नंबर 61, 62 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 60 रकबा 0.75 हेक्टेयर में से 92 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौड़ा, खसरा नम्बर 84 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 85 रकबा 1.87 हेक्टेयर में से 60 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौड़ा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 60 एवं 85 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई व्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)